



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235253
CG-DL-E-20042022-235253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944

No. 208]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

सं. वी-33011/1/2021-स्था.-IV.—क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में अध्यक्ष क.रा.बी.निगम असम राज्य के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का एतद्वारा गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अधीन
1.	मंत्री, श्रम कल्याण विभाग, असम	अध्यक्ष	विनियम 10(1)(क)
2.	मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, असम	उपाध्यक्ष	विनियम 10(1)(ख)
3.	प्रधान सचिव / सचिव, श्रम कल्याण विभाग, असम	सदस्य	विनियम 10(1)(ग)
4.	प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, असम	सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(i)
5.	राज्य चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी.निगम, असम	सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(ii)
6.	प्रबंध निदेशक, एसआरडी ग्रुप ऑफ कंपनीज मंगलदोई, असम	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ङ)